

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बरण तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 53/2015 राजस्व वाद

उनवान

1. जमना पिता भागुता गाडरी उम्र वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. पार्वती पुत्री भागुता गाडरी उम्र वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. हरकु बैवा भागुता गाडरी उम्र वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

— (वादीगण)

बनाम

1. भंवर पिता उंकार गाडरी उम्र वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. सायरी पुत्री उंकार गाडरी उम्र वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. अलोली पुत्री उंकार गाडरी उम्र वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा एवं पदेन उपंजीयक बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री कृष्णकुमार जीनगरवादीगण

दिनांक– 10.06.2017

राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बरण में वादी संख्या 01 मय अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 02, 03 उपस्थित। आज दिनांक 10.06.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि – वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम एकलिंगपुरा पटवार क्षेत्र बरण की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है—

1. जमना पिता भागुता पार्वती पुत्री भागुता हरकु बैवा भागुता 1/2, अलोली पुत्री उंकार 1/2 गाडरी सा0देह खातेदार

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
234	0.19	बा0प्रथम	1.42
235	0.14	चा0तृतीय-जा0तृतीय	3.00, 0.60
236	0.18	चा0तृतीय	5.40
240/1	1.02	चा0तृतीय	6.60
268/2	0.01	बी0ब0	0.02
270/1	0.15	बी0ब0	0.34
272/1	0.01	बा0द्वितीय	0.06
274	0.11	बा0द्वितीय	0.61
275/1	1.03	बी0ब0	0.52
368	0.17	बा0प्रथम	1.28
367/1	1.04	बी0ब0	0.54
कुल 11	रकबा 8-05 बीघा		20.39

2. भंवर पिता उंकार 1/2 सायरी पुत्री उंकार 1/2 गाडरी सा0 देह

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
240	1.01	चा.!!!	—
252	2.05	चा.!!!	—
257	0.16	बी0ब	—
268/1	0.01	बी0ब	—
270	0.15	बी0ब0	—
272	0.02	बा0 !!	—
273	0.11	बा0 !!	—
275	1.03	बी0 ब0	—
367	1.11	बी0ब0	—
कुल 9	रकबा 8-05 बीघा		22.44

उक्तानुसार भूमि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 के मध्य क्रम संख्या 1 से 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 10.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बरण में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- पालनार्थ मय प्रमाणित शुदा प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव


उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाड़ा राज